न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 91/2008

उनवान

1. मु0 नोसर पत्नी रामकरण
2. जयराम पुत्र रामकरण
3. पूसी पुत्री रामकरण
4. फूला पुत्री रामकरण
5. पारसी पुत्री रामकरण
6. लालाराम पुत्र रामकरण
7. मैना पुत्री रामकरण
8. श्योदान पुत्र प्रताप
9. राधाकिशन पुत्र रायचन्द
10. रायचन्द पुत्र प्रताप (मृत्यु)
10/1. गीता पत्नी रायचन्द
10/2. राधाकिशन पुत्र रायचन्द
10/3. सन्तोष पुत्री रायचन्द
10/4. गुलाब पुत्री रायचन्द
10/5. रसाल पुत्री रायचन्द
10/6. सुरता पुत्री रायचन्द
11. हरनाथ पुत्र जगन्नाथ समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

——वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम्

1. रामपाल पुत्र मंगला
2. हरलाल ना.बा. पुत्र मंगला जरिये संरक्षकरामपाल (चाचा)
3. नानी पत्नी गंगाराम
4. किशना पुत्र गंगाराम (मृत्यु)
4/1. मांगी देवी पत्नी किशना
4/2. सत्यनारायण पुत्र किशना
4/3. रामलाल पुत्र किशना
4/4. लक्ष्मण पुत्र किशना
4/5. लाला पुत्र किशना
4/6. रतनी पुत्री किशना
4/7. गीता पुत्री किशना
5. सोपाल पुत्र गंगाराम
6. सहदेव पुत्र गंगाराम
7. भागचन्द पुत्र गंगाराम
8. जीवणी पुत्री गंगाराम
9. नोपी पत्नी उंकार
10. भागचन्द पुत्र उंकार
11. रामदेव पुत्र उंकार
12. गोपाल पुत्र उंकार
13. भंवरलाल पुत्र उंकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

//2//

14. रंगलाल पुत्र सूरा
15. पूसी पत्नी हरदयाल
16. शिवदान पुत्र हरदयाल समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैंजा, नसीराबाद
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, नसीराबाद।

----प्रतिवादीगण :- 1 से 8 जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
9 से 16 अनुपस्थित
17 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- दिनांक :- 15.3.22

वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण की क्रयशुदा सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की आराजी ग्राम बैंजा तहसील नसीराबाद में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
64	1-16-00	117	0.08
		118	0.08
		119	0.07
		120	0.06
63	0-7-10	115	0.06
		116	0.06
80	2-4-10 में से 1-2-0 का बेचान	149	0.16
78	0-14-0	145	0.11
149	0-8-10	258	0.07
150	3-0-0	260	0.49
75	2-9-0	141	0.17
		142	0.23
79	2-0-0	148	0.17
		147	0.15
84	1-18-10	156	0.16
		159	0.15

उक्त आराजी वादीगण के पिता की खरीदशुदा है जो कि वर्किंग जमाबंदी में वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज थी किन्तु हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। हाल त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी [illegible] करने पर अमादा है अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित [illegible]। प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 9 से 16 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है जिसका बेचान कभी भी नही किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 के तहत जमाबंदी में दर्ज अन्य सह खातदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। वाद में वादीगण द्वारा स्पष्ट नही किया है कि कौन सी तारीख को वर्ष को किस खातेदार द्वारा भूमि विक्रय की गयी है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक क्रयशुदा है ?

-- वादी

2. आया वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती के अधिकारी है ?

-- वादी

3. आया वाद अपूर्ण पक्षकार के कारण खारिज योग्य है ?

-- प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र व दस्तावेज पेश किये तथा जयराम, व सोदान के बयान दर्ज करवाये।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने रामलाल व गंगाराम के बयान करवाये।

वाद विचाराधीन रहते वादी संख्या 10 व प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु होने से उनके वारिस रेकार्ड पर लिये गये।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अंद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय वादी व प्रतिवादी अभिभाषक व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार पारित किया जाता है--

तनकी संख्या 1 :-

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिन्होने अपने कथनों के समर्थन में जमाबदी, नामान्तकरण व विक्रय पत्र पेश किये की जिसके अनुसार वादीगण/पूर्वज ने ग्राम बैवंजा के वंर्किग खसरा नम्बर 64, 63, 80, 78, 149, 150, 75, 79, 84 अलग- अलग व्रिकय पत्रों द्वारा तत्कालीन मूल खातेदारों से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया। वादी द्वारा इसके समर्थन में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1973, 07.07.197329.05. 1974 पेश किये। प्रतिवादी का कथन है कि उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का कभी बैचान नही किया गया किन्तु उक्त सभी विक्रय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। साथ ही उक्त विक्रय पत्र की पालना में अलग- अलग नामान्तकरण से आराजी मुतनाजा तत्कालीन राजस्व अभिलेख में वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज की गयी है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण को सक्षम न्यायालय में चूनौती नही दी है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विक्रय के पश्चात विक्रेता के खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। वादीगण द्वारा दिनांक 28.02.1998 का विक्रय पत्र भी पेश किया है जिसके अनुसार उक्त समस्त क्रय की गयी आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 64,75, 79, 151, 80, 156, 157, 72, 62 व 83 में से तत्कालीन क्रेता प्रताप पुत्र ज्वारा द्वारा अपना हिस्सा श्योदान पुत्र प्रताप व राधाकिशन पुत्र प्रताप को बैचान किया था। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण ने इसके खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व नामान्तकरण द्वारा आराजी मुतनाजा उनकी क्रयशुदा सिद्ध होती है। तनकी बहक वादी विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक क्रयशुदा सिद्ध होती है। वंर्किग जमाबंदी के खसरा नम्बर 64, 63, 80, 84, 75, 79, 78,

--4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

149, 150 अलग–अलग नामान्तकरण द्वारा वादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज हो गये थे। जिकी ताईद नामानतकरण की प्रतिलिपि से होती है। बंदोबस्त विभाग को वर्तमान राजस्व अभिलेख तैयार करते समय पूर्व इन्द्राज ही दोहराना थ। किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के नाम दर्ज नही करके प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे वादीगण के कथनों का खण्डन होता हो। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादीगण व उनके वूर्वजों की कयशुदा है। पूर्व राजस्व अभिलेख में उनके नाम जरियें नामान्तकरण दर्ज हुयी है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी, नामान्तकरण व विक्रय पत्रो के अनुसार वादीगण की विधिक कयशुदा व तत्कालीन जमाबंदी में खातेदार की सिद्व होती है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वाद में अन्य सह खातेदरों को पक्षकार नही बनाया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट नही किया है कि कौन से खसरा नम्बर के किस सहखातेदार को पक्षकार नही बनाया है तथा उस सह खातेदार का प्रकरण में क्या हित निहित है? प्रकरण वर्ष 2008 से हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी स्वयं भी हितबद्व व्यक्तियों को पक्षकार मूर्तिब कर सकता था। अतः उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीमण द्वारा प्रस्तुत वाद **"स्वीकार"** किया जा कर ग्राम बैंवजा स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 117 रकबा 0.08, 118 रकबा 0.08, 119 रकबा 0.07, 120 रकबा 0.06, 115 रकबा 0.6, 116 रकबा 0.6, 149 रकबा 0.16, 156 रकबा 0.16, 159 रकबा 0.16, 141 रकबा 0.17, 142 रकबा 0.23, 148 रकबा 0.17, 147 रकबा 0.15, 145 रकबा 0.11, 258 रकबा 0.07 व 260 रकबा 0.49 पर **वादी संख्या 1 से 9** को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे।पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

नौसर बनाम रामपाल

दावा बाबत :- 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 91/2008
पेश करने की दिनांक – 08.07.2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद "**स्वीकार**" किया जा कर ग्राम बैंवजा स्थित आराजीयात हाल खसरा संख्या 117 रकबा 0.08, 118 रकबा 0.08, 119 रकबा 0.07, 120 रकबा 0.06, 115 रकबा 0.6, 116 रकबा 0.6, 149 रकबा 0.16, 156 रकबा 0.16, 159 रकबा 0.16, 141 रकबा 0.17, 142 रकबा 0.23, 148 रकबा 0.17, 147 रकबा 0.15, 145 रकबा 0.11, 258 रकबा 0.07 व 260 रकबा 0.49 पर वादी संख्या 1 से 9 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे।पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 15 माह 03 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद